सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
COURT OF INQUIRY – RAJMAHAL OPENCAST MINE ACCIDENT

PUBLIC NOTICE

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of The Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government, vide Gazette Notification No. S.O. 2927 (E) dated 13th August 2019, has appointed the undersigned to hold a formal inquiry into the causes and the circumstances attending the accident causing loss of lives that occurred on 29th December, 2016 at Rajmahal Opencast Mines of M/s Eastern Coalfields Limited in Godda district of Jharkhand State. The Central Government has also appointed Shri Akhter Javed Usmanee, representative of Hind Mazdoor Sabha and Shri Ravindra Sharma, Ex-Chief Inspector of Mines and DGMS as assessors in holding of the inquiry.

The Court of Inquiry calls for representation by means of affidavits from employees, staff, management or any other person who are directly or indirectly acquainted or have knowledge with regard to the cause and circumstances leading to the accident. Such duly sworn affidavits attested by a Notary in public are required to be filed on or before 05 PM of 08th November, 2019 to Member Secretary of Court of Inquiry, Sri Venkanna Banothu, in the office of DGMS, Main Building, Directorate General of Mines Safety, Hirapur, Dhanbad, Jharkhand, 826001, in person or by post. No further time shall be given to file affidavit beyond the date notified above.

Affidavits filed will be treated as chief examination for the purpose of evidence and persons affected/ interested will be permitted for cross examination. Examination of witnesses will be held generally in Kunustoria Area (Paschim Bardhaman district of West Bengal State) of M/s Eastern Coalfields Limited a subsidiary of Coal India Limited or at any other place to be decided by the Court.

The received affidavits will be uploaded in the DGMS website (www.dgms.gov.in) on daily basis to enable all interested parties to have access to it. If any person requires hard copies of the affidavits the same will be made available to him by the Member Secretary on payment of Rs.2 per page on electronic mode (through www.bharatkosh.gov.in).

Sd/-
(Smt. Rashmi Verma)
Chairperson to the Court of Inquiry &
Former Secretary to the Government of India

New Delhi
Dated: 20th September, 2019

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

जाँच न्यायालय- राजमहल खुली खदान दुर्घटना

आम सूचना

खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. S.O. 2927 (E), दिनांक 13 अगस्त, 2019 के द्वारा झारखंड राज्य के गोड्डा जिला स्थित मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की राजमहल खुली खदान में दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को घटित दुर्घटना, जिसके कारण मानव जीवन की क्षति हुई, के कारणों और परिस्थितियों की औपचारिक जाँच हेतु अधोहस्ताक्षरी को नियुक्त किया है। केन्द्रीय सरकार ने श्री अख्तर जावेद उस्मानी, हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधि और श्री रवीन्द्र शर्मा, पूर्व मुख्य खान निरीक्षक और डी.जी.एम.एस. को भी जांच करने में असेसर के रूप में नियुक्त किया है।

जाँच न्यायालय दुर्घटना घटित होने के कारणों एवं परिस्थितियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भिज्ञ अथवा जानकारी रखनेवाले कर्मियों, स्टाफ, प्रबंधन या अन्य किसी व्यक्ति से शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिनिधित्व आहूत करता है। ऐसे शपथ पत्रों को नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत तस्दीक कराकर व्यक्तिगत या डाक से दिनांक 8 नवम्बर, 2019 के शाम 05 बजे तक या उसके पूर्व खान सुरक्षा महानिदेशालय, हीरापुर, धनबाद, झारखंड- 826001 के मुख्य भवन में जाँच न्यायालय के सदस्य सचिव श्री वेंकन्ना बानोतु के कार्यालय में जमा किया जाए। उपरोक्त अधिसूचित तिथि के बाद शपथ पत्रों को जमा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

नोटरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किये गये प्राप्त शपथ पत्रों को मुख्य परीक्षण हेतु साक्ष्य माना जाएगा एवं प्रभावित/इच्छुक पक्षों को प्रतिपरीक्षण हेतु अनुमति दिया जाएगा। गवाहों का परीक्षण सामान्यत: कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंम्पनी (सबसीडीयरी), ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कन्स्तुरिया क्षेत्र (पश्चिम बर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल राज्य) या न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य स्थान पर किया जाएगा।

प्राप्त शपथ पत्रों को, सभी संबंधित पक्षकारों की जानकारी में लाने हेतु प्रतिदिन डीजीएमएस की वेबसाइट {www.dgms.gov.in} पर अपलोड किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति शपथ पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहे, तो 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से राशि का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से {through www.bharatkosh.gov.in} भुगतान करने पर जाँच न्यायालय के सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध् कराया जाएगा।

ह०/-

नई दिल्ली
दिनांक: 20 सितम्बर, 2019

(श्रीमती रश्मी वर्मा)
अध्यक्ष, जाँच न्यायालय
एवं पूर्व सचिव भारत सरकार